

रमेश बगान 1977

236/2024

7/11/2024 पत्रावली नं. 101/2024
उपस्थित अथवा उपस्थित न होने पर
13/11/2024 तक जयपुर जिले के
सिद्धाचार्य (सं. 101/2024) के
वाकिल के द्वारा जयपुर जिले के
उपस्थित अथवा उपस्थित न होने पर
14/11/2024 तक

जयपुर जिला (सांगानेर)

14/11/2024

पत्रावली नं. 101/2024
नया नया कार्य में जारी है।
बाद में पूर्वानुसार दिनांक 23/11/24
को देखें।

20/11/2024 पत्रावली नं. 101/2024
उपस्थित अथवा उपस्थित न होने पर
सं. 101/2024 के अंतर्गत
जयपुर जिले के द्वारा 11/12/2024 तक
जयपुर जिले के द्वारा 11/12/2024 तक
से निवेदन जयपुर जिले के
जयपुर जिले के द्वारा 11/12/2024 तक
जयपुर जिले के द्वारा 11/12/2024 तक

जयपुर जिला (सांगानेर)



समक्ष न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (द्वितीय),
जयपुर सांगानेर

प्रार्थना पत्र सं. /2024

1. रमेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 45 वर्ष लगभग निवासी गढ
मोहल्ला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 42 वर्ष लगभग निवासी
एच-42, टेगोर पथ, बनीपार्क, जयपुर राज0 302016

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र रामपाल उम्र व्यस्क, निवासी नीमडी की ढाणी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर 303905
2. जगदीश पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
3. नानगी पत्नि भीवाराम उम्र व्यस्क
4. रमेश पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
5. रामचंद्र पुत्र भीवाराम उम्र व्यस्क
6. रामप्रसाद पुत्र पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
7. रामेश्वर पुत्र पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
8. हनुमान पुत्र धन्ना उम्र व्यस्क सभी जाती माली सभी निवासी माली मोहल्ला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर 303905
9. लक्ष्मा पत्नि रामजीवन जाति मीना उम्र व्यस्क निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) 303905
10. जयराम पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
11. धन्ना लाल पुत्र रुघनाथ उम्र व्यस्क
12. बुद्धाराम पुत्र पांचूराम उम्र व्यस्क
13. भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
14. मूलचंद्र पुत्र रुघनाथ उम्र व्यस्क
15. रामअवतार पुत्र पांचूराम उम्र व्यस्क
16. शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
17. श्योचन्दा पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
18. श्रीराम पुत्र गुल्ला उम्र व्यस्क
19. सीताराम पुत्र रुघनाथ उम्र व्यस्क सभी जाति बैरवा सभी निवासी निवासी बैरवा मोहल्ला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर 303905
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.)।

.....अप्रार्थीगण

Handwritten signature

11-45/241



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

कीलसीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

हाद पत्र : 236/2024

निर्णय दिनांक : 20.11.2024

1. रमेश चन्द पुत्र रामप्रसाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 45 वर्ष लगभग निवासी गढ का मोहल्ला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज)।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 42 वर्ष लगभग निवासी एच-42, टैगोर पथ, बनीपार्क, जयपुर राज0 302016

बनाम

वादीगण

1. विजय सिंह पुत्र रामपाल उम्र व्यस्क, निवासी नीमडी की ढाणी, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर 303905
2. जगदीश पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
3. नानगी पत्नि भीवाराम उम्र व्यस्क
4. रमेश पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
5. रामचंद पुत्र भीवाराम उम्र व्यस्क
6. रामप्रसाद पुत्र पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
7. रामेश्वर पुत्र पुत्र लादिया उर्फ लादूराम उम्र व्यस्क
8. हनुमान पुत्र धन्ना उम्र व्यस्क सभी जाती माली सभी निवासी माली मोहल्ला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर 303905
9. लछमा पत्नि रामजीवन जाति मीना उम्र व्यस्क निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) 303905
10. जयराम पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
11. धन्ना लाल पुत्र रुघनाथ उम्र व्यस्क
12. बुद्धाराम पुत्र पांचूराम उम्र व्यस्क
13. भगवान सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
14. मूलचंद पुत्र रुघनाथ उम्र व्यस्क
15. रामअवतार पुत्र पांचूराम उम्र व्यस्क
16. शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र व्यस्क
17. श्यांछानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण आयु वृद्धि
18. श्रीराम पुत्र गुल्ला उम्र व्यस्क
19. सीताराम पुत्र रुघनाथ उम्र व्यस्क सभी जाति बैरवा सभी निवासी निवासी बैरवा मोहल्ला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर 303905
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.)।


प्रतिवादीगण

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के हक अधिकारी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1952/6401, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1957/6405.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

1958, 1959, 1959/6406, 1973, 1973/6398, 1974, 1974/6402, 1975, 1976/6395, 1976/6396, 2582, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2596/6423, 2591, 2592, 2593, 2595, 2600, 2602, 2603, 2604 कुल किता 34 कुल रकबा 8.6700 है० जो कि ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू अभि नि क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बतौर खातेदार काविज कारस्त होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है, जिसमे किसी अन्य की आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं रही है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु अप्रार्थी सं. 20 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विहित फीस वसुल की जाकर प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2024 को सम्बन्धित हल्का पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान किया जा चुका है, जिसकी बाद सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट- सीमाज्ञान भी मौके पर बनाई जा चुकी है। जो इस प्रकार से है कि :- 66 आज दिनांक 24.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगानेर के आदेश क्रमांक/मू.अ. / सीमाज्ञान/24/47032 / दिनांक 24.06.2024 की पालना में वाटिका के खसरा नं 1952/6401, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1957/6405, 1958, 1959, 1959/6406, 1973, 1973/6398, 1974, 1974/6402, 1975, 1976, 1976/6395, 1976/6396, 2582, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2596/6423, 2591, 2592, 2593, 2595, 2600, 2602, 2603, 2604 कुल किता 34 कुल रकबा 8.6700 है० के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर उपस्थित खातेदारों के समक्ष मुस्तकिल मुकाम गैर मु. चाह खसरा नं. 1886, 2601 से जरीब चलाकर उक्त खसरा नम्बरान की सीमा जानकारी करवायी गई। फर्द मौका रिपोर्ट पढकर सुनायी गयी उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।" सीमा ज्ञान 24.06.2024 की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजी की सुरक्षा व भविष्य में किसी भी प्रकार से सीमा विवाद उत्पन्न किसी भी पडौसी खातेदार के मध्य उत्पन्न नहीं हो इस आशय से प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी की सीमाओं के चारों ओर पत्थरगढी बाद सीमाज्ञान कराया जाकर तार फेन्सीग कराना चाहता है। ताकि भविष्य में सम्भावित रूप से होने वाले किसी भी विवाद को टाला जा सके। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी भूमि के चारों ओर बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी कराया जाकर तार फेन्सीग कराने के आशय से सम्बन्धित पटवारी हल्का को वक्त सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2024 को प्रार्थीगण की उक्त आराजी की सीमाओं पर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया गया तो सम्बन्धित पटवारी हल्का के द्वारा वक्त सीमा ज्ञान पत्थरगढी बिना न्यायालय के आदेश से किये जाने का पावर पटवारी को नहीं होने का कथन किया गया इसलिए न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिमी आया। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है, जिसकी पत्थरगढी कराई जाकर तार फेन्सीग कराई जायेगी उस समय इस आशय की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 19 पडौसी खातेदार है, जिनके द्वारा वक्त पत्थरगढी बाधा उत्पन्न करने की पूरी पूरी सम्भावना है, इसलिए प्रार्थीगण की उक्त आराजी का पत्थरगढी, (पुख्ता सीमा चिन्ह) तारफेन्सीग इत्यादी मौके पर करते हुए पुलिस इमदाद थाना सांगानेर सदर (दक्षिण), जयपुर की सहायता से कराये जाने के आदेश पारित फरमाया जाना आवश्यक है। ताकि वक्त पत्थरगढी, तारफेन्सीग के समय शांति व्यवस्था कायम रह सके और कानून की स्थिति ठीक रहे किसी भी प्रकार से कानुनी व्यवस्था नहीं बिगडे, इसलिए न्यायहित में व खातेदारों के हित में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन रहने के सिद्धांत के आधार पर मय पुलिस इमदाद का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि का बाद सीमाज्ञान, पत्थरगढी, तारफेन्सीग सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2024 को किया जा चुका है, उसके आधार पर या आवश्यकतानुसार पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी तारफेन्सीग किये जाने का आदेश पटवार हल्का वाटिका, भू अभि. नि. क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। पत्थरगढी इत्यादी से सम्बन्धित कार्य करने का समय


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नियमानुसार तय समय मध्य सामान्यतया निपटाये जाने के प्रावधान है, और समय समय पर सरकार द्वारा भी परिपत्र जारी किये हुए है कि सीमा ज्ञान, पत्थरगढी इत्यादी के कार्य तय समय मे निपटाये जाने चाहीए तय समय के किये गये आवेदन आदेशानुसार होने वाले सीमा ज्ञान पत्थरगढी इत्यादी के मामले लम्बित नही रहने चाहिए इसलिए श्रीमान जी के समक्ष उक्त उगवानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्त तथ्यो व परिस्थितियो के आधार पर विना किसी विलम्ब के प्रथम या द्वितीय पेशी पर ही निस्तारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण व अन्य किसी के मध्य किसी भी किस्म का विवाद या प्रकरण उक्त आराजी के सम्बन्ध मे ना तो अस्तित्व मे है और ना ही किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय मे कोई विवाद लम्बित है, इसलिए प्रकरण को न्यायहित मे जल्द से जल्द निस्तारित फरमाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण सं. 20 को इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वो भूमिधारी है और उनके द्वारा उनके निर्देशानुसार पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादी का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा इस आशय से आवश्यक पक्षकार होने के कारण से पक्षकार बनाया गया है, जिससे अन्य कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि जो कि ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू. अभि. नि. क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित होने के कारण से प्रार्थना पत्र को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1952/6401, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1957/6405, 1958, 1959, 1959/6406, 1973, 1973/6398, 1974, 1974/6402, 1975, 1976/6395, 1976/6396, 2582, 2584, 2585, 2586 2587, 2588, 2589, 2590, 2590/6423, 2591, 2592, 2593, 2595, 2600, 2602, 2603, 2604 कुल किता 34 कुल रकबा 8.6700 है० जो कि ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू. अभि. नि. क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, का आवश्यकतानुसार वाद सीमा ज्ञान पत्थरगढी की जाकर तार फेन्सींग मय पुलिस इमदाद जरिये पुलिस थाना सांगानेर सदर (दक्षिण) जयपुर के कराये जाने के आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 07.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 19 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सूनी गई। बहस उभयपक्षकारान बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर राजस्व जमाबन्दी में विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षार्थ हेतु सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है, जिसमे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं रखते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111 एवं 128 भू-राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए, व उनकी उपस्थिति में वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू. अभि. नि. क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1952/6401, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1957/6405, 1958, 1959, 1959/6406, 1973, 1973/6398, 1974, 1974/6402, 1975, 1976/6395, 1976/6396, 2582, 2584, 2585, 2586 2587, 2588, 2589, 2590, 2590/6423, 2591, 2592, 2593, 2595, 2600, 2602, 2603, 2604 कुल किता 34 कुल रकबा 8.6700 है० का सीमाज्ञान फर्द मौका-रिपोर्ट आदेश दिनांक 24.06.2024


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

... ..
... ..
... ..


... ..
... ..
... ..
... ..